कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान, खैराबाद–सीतापुर।

विज्ञप्ति

विषिष्ट बी0टी0सी0 प्रषिक्षण 2008 (विषेष चयन) हेतु निर्गत –***शासनादेश संख्या–1186/15–11–2008 दिनांक 14. 11.2008*** के प्रति प्रकाषित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों के अधार पर अंकित विवरण के आधार पर जनपद सीतापुर हेतु निर्धारित अनु0जाति हेतु 134 तथा अनु0जन जाति हेतु 16 (जिनकी संख्या घट बढ सकती है) के सापेक्ष बीस गुनी संख्या में (विषेष आरक्षण एवं षिक्षामित्र श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी) द्वितीय जांच सूची जो Second List of Candidates for Verification of Original Documents' है निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट आफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटट पर चस्पा है। द्वितीय जांच सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी website- http://sitapur-nic.in पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विषेष आरक्षण/षिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 24–08–09 व 25–08–09 को प्रातः 9.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

कट ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	पुरूष	
	शिक्षा मित्रों से भिन्न	
	कला	विज्ञान
अनुसूचित जाति	218.10	194.58

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों से भिन्न
अनु0 जा0 पुरूष विकलांग चलन क्रिया	213.44
अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष विकलांग चलन क्रिया	234.53
अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष श्रवण हास	230.35

- जारी की द्वितीय जांच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है। यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है, तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का विषिष्ट बी0टी0सी0 प्रषिक्षण 2008 (विषेष चयन) में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- जनपद सीतापुर के अन्तर्गत यदि किसी अभ्यर्थी का कट आफ गुणांक उपर्युक्त गुणांक से अधिक है तथा उसका नाम सूची में नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग/श्रेणी की सम्बन्धित तिथि को अपना प्रत्यावेदन संस्थान में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य,
जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान
खैराबाद–सीतापुर